"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2015— पौष 10, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-22/2015/1/5.— इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-58/2009/1/5, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के अनुक्रम में, मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी एक्ट, 1938 (क्रमांक-5 सन् 1938) की धारा 09 की उप धारा (01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा कमांडेंट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (उतई) आर.टी.सी. भिलाई जिला दुर्ग के लिए उल्लिखित किए गए निम्नांकित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रारंभ होने तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की कालावधि के लिए नियतकालिक रूप से मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा.

2. भू-रेखांक का निरीक्षण कलेक्टर, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकेगा.

क्षेत्र का ब्यौरा

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम पटवारी हल्का नंबर एवं रा.नि.मं.	राजस्व भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	वनभूमि (हेक्टेयर)
1.	दुर्ग (छत्तीसगढ़)	डूमरडीह पटवारी हल्का नंबर-30 रा. नि. मं. अण्डा	खसरा नंबर-03 रकबा 59.74 हेक्टेयर	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.